न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 09/2018 नामान्तरकरण अपील

1. मनोहरलाल पुत्र श्री चिरंजीलाल
2. घनश्याम पुत्र श्री चिरंजीलाल
   समस्त जातियान् ब्राहमण निवासी पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री चिरंजीलाल जाति ब्राहमण निवासी पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील सिकराय

रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.02.2018 बाबत नामान्तरकरण सं. 133 ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा

उपस्थिति :– 1. श्री गोरधन गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
2. श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 उपस्थित।

–:निर्णय:– दिनांकः 14.11.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नं. 31 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा हिस्सा 1/2 के रिकार्डेड सह खातेदार कजोडया पुत्र श्री नानगा जाति गुर्जर निवासी पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा था। जिसके द्वारा दिनांक 29.06.1984 को अपने हिस्सें 1/2 को रजिस्ट्री विक्रय पत्र अपीलान्ट मनोहरलाल, घनश्याम पुत्रान चिरंजीलाल जाति ब्राहमण निवासी पांचोली को विक्रय कर प्रतिफल राशि 6000/रु नकद प्राप्त कर दिनांक 06.07.1984 को उक्त विक्रय पत्र पुस्तक सं. 01 भाग सं. 34 क्रम सं. 87 पृष्ठ सं. 151 पर उप पंजीयक सिकराय के समक्ष पंजीबद्ध निष्पादित करवा दिया एवं मौके पर कब्जा संभाल दिया। तबसे अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि को कजोडया से ही अपीलान्ट के द्वारा खरीदा गया था। उक्त भूमि में से कुछ भूमि रोड में एक्वायर हो गयी थी जिसका मुआवजा भी अपीलान्ट को मिला। उक्त भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने न्यायालय उपजिला कलक्टर महोदय सिकाराय में सन् 2008 में अपीलान्ट की भूमि को हडपने की नियत से झूठा वाद पत्र पेश कर दिया। जो खारिज फरमा दिया गया। जिसकी अपील भू प्रबन्ध एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के यहा कर दी गयी। जिसमें रेस्पोडेन्ट ओमप्रकाश ने तामिल कुनन्दा से मिलकर झूठी रिपोर्ट करवाकर न्यायालय में पेश कर दी तथा एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर अपील स्वीकार कर ली गई। न्यायालय भू प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 25.02.2016 अपील सं. 03/2016 बउनवानी ओमप्रकाश बनाम मनोहरलाल की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में टी.ए. सं. 7149/2016 जिला दौसा विचाराधीन है। जिस पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 26.10.2016 को न्यायालय भू प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 25.02.2016 को स्थगन कर विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की दिनांक 26.10.2016 की स्थिति यथावत

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रखने के आदेश दिये थे। अपील का निर्णय नही हुआ तथा रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी भू प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की नकल लेकर उपखण्ड अधिकारी सिकराय के इजरा पेश कर दी जिसके मु.न. 01/2018 है। तहसीलदार एवं रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर उक्त स्थगन आदेश को दर किनार करते हुए भूमि आराजी ख.न. 31 जिसके वर्तमान नं. 986/45 रकबा 0.29 है0 है का नामान्तरकरण सं. 133 दिनांक 19.02.2018 को भरवाकर पटवारी से दिनांक 21.02.2018 को तहसीलदार ने नामान्तरकरण को तस्दीक कर दिया व जमाबन्दी में इन्द्राज करवा दिया तथा अब रेस्पोडेन्ट नं. 01 फायदा उठाते हुए उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं बेचान करने पर आमदा हो रहा है। जबकी उक्त भूमि से उसका लेना देना व वास्ता नही है। इसलिए अपीलान्ट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण सं. 133 दिनांक 21.02.2018 वाकै ग्राम पांचोली तहसील सिकराय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि अपीलान्ट्स द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है। इस प्रकार उक्त भूमि पैतृक भूमि नही है। किन्तु रेस्पोडेन्ट नं. 01 द्वारा उक्त भूमि को हडपने की नीयत से न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में वाद प्रस्तुत कर दिया। जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। न्यायालय उपजिला कलक्टर सिकराय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट नं. 01 द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में अपील कर दी गई एवं झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से अपील दिनांक 25.02.2016 को स्वीकार कर ली गई। उक्त निर्णय दिनांक 25.02.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई जो विचाराधीन है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 25.02.2016 को स्थगित कर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत रखने के आदेश दिये थे। जिसकी प्रति भी तहसीलदार सिकराय को उपलब्ध करवा दी गई थी। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने न्यायालय भू प्रबन्ध एवं राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की नकल लेकर उपखण्ड अधिकारी सिकराय के इजरा पेश कर दी। जिस पर उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पत्र दिनांक 15.01.2018 द्वारा तहसीलदार सिकराय को निर्देश दिये गये कि किसी अन्य न्यायालय में स्थगन नही हो तो इजराय की पालना कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को अवगत करावे। जिस पर तहसीलदार सिकराय द्वारा पटवारी हल्का पांचोली को पत्रांक 278 दिनांक 18.01.2018 को निर्देश दिये गये की किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट पेश करे। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा स्थगन खारिज होना मानकर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 133 दिनांक 19.02.2018 को भरा जाकर तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 21.02.2018 को तस्दीक कर दिया गया। इस प्रकार प्रश्नगत नामान्तरकरण अवैध रूप से तस्दीक किया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक करने के दौरान राजस्व मण्डल अजमेर का कोई स्थगन आदेश प्रचलित होने का उल्लेख राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नही है। और ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिकराय द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

दिनांक 25.02.2016 की पालना मे प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। राजस्व मण्डल अजमेर का कोई स्थगन आदेश वर्तमान में प्रभावी है तो भी प्रश्नगत नामान्तरकरण को खारिज किये जाने का कोई औचित्य नही है। राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने पर तदानुसार क्रियान्विति होगी। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिक्सल प्रोसिडिंग होती है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण से सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील विचाराधीन है। यद्यपि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगन आदेश पारित किये जाने एवं अपील विचाराधीन होने पर तहसीलदार सिकराय को नामान्तरकरण तस्दीक करने सम्बन्धित कार्यवाही किया जाना उचित नही था। किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश का अंकन नही होने कारण नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखते हुए, राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने पर तदानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार सिकराय को निर्देशित किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 133 दिनांक 21.02.2018 ग्राम पांचोली तहसील सिकराय से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय उपरान्त तदानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 14.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official